वीरता पुरस्कार

भारत के राष्ट्रपति ने 75वें गणतंत्र दिवस पर सशस्त्र बलों तथा सुरक्षा बलों के 80 कर्मियों को **वीरता पुरस्कार प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की** जिनमें से 12 को मरणोपरांत सम्मानित किया गया।

- सशस्त्र बलों, अन्य विधिक रूप से गठित बलों के **अधिकारियों/कर्मियों** तथा नागरिकों **की बहादुरी तथा बलिदान** के कार्यों का सम्मान करने के लिये भारत सरकार द्वारा वीरता पुरस्कारों की शुरुआत की गई।
- स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहले तीन वीरता पुरस्कार नामतः **परमवीर चक्र, महावीर चक्र, एवं वीर चक्र** भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी, 1950 को प्रारंभ किये गए थे जिनको 15 अगस्त, 1947 से प्रभावी माना गया था।
    - इसके पश्चात अन्य तीन वीरता पुरस्कार अर्थात अशोक चक्र श्रेणी-I, अशोक चक्र श्रेणी-II और अशोक चक्र श्रेणी-III को भारत सरकार द्वारा 04 जनवरी, 1952 को प्रारंभ किये गए थे जिनको 15 अगस्त, 1947 से प्रभावी माना गया था ।
        - इन पुरस्कारों का जनवरी, 1967 को क्रमशः **अशोक चक्र, कीर्ति चक्र तथा शौर्य चक्र** के रूप में पुनः नामकरण किया गया था ।
- इन वीरता पुरस्कारों की **घोषणा वर्ष में दो बार** की जाती है पहले **गणतंत्र दिवस** के अवसर पर तथा फिर **स्वतंत्रता दिवस** के अवसर पर।
- वीरता पुरस्कारों को **दो प्रकारों** में वर्गीकृत किया गया है:
    - **युद्धकालीन वीरता पुरस्कार**
        - ये पुरस्कार दुश्मन के समक्ष बहादुरी के लिये प्रदान किये जाते हैं।
    - **शांतिकालीन वीरता पुरस्कार**
        - ये पुरस्कार दुश्मन के समक्ष बहादुरी के साथ-साथ किये गए अन्य कार्यों के लिये दिये जाते हैं।

//

- इन पुरस्कारों का वरीयता क्रम **परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र** है।

और पढ़ें...वीरता पुरस्कार

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/gallantry-awards-6